केंद्रीय विद्यालय मुल्लानपुर गरीबदास

Kendriya Vidyalaya Mullanpur Garibdas

An autonomous Body Under Ministry of Education, Government of India

Distt. S.A.S Nagar Mohali (Punjab)
Telephone: 9417005671
Email: kvmullanpur2016@gmail.com
CBSE Affiliation Code: 1600027

जिला एस ए एस नगर मोहाली (पंजाब)
दूरभाष: 9417005671
Website:www.mullanpur.kvs.ac.in
CBSE School Number: 24546

फा.56/Condm/के.वि.मु.ग./2026-27/201 to 256 (HQ) Date: 25.09.2026

नीलामी की सूचना

केंद्रीय विद्यालय मुल्लानपुर गरीबदास के विभिन्न विभागों के बेकार हो चुके सामान की नीलामी 12.10.2026 को सुबह 11:00 बजे विद्यालय कार्यालय में खुली नीलामी के ज़रिए की जाएगी। सभी इच्छुक व्यक्तियों/पार्टियों को सूचित किया जाता है कि वे बोली लगाने के लिए केंद्रीय विद्यालय मुल्लानपुर गरीबदास में एकत्रित होंगे। बेकार घोषित किए जाने वाले सामान की स्थिति को किसी भी कार्यदिवस पर सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच देखा जा सकता है।

CONDEMNATION COST STATEMENT -2026-27

क्र.सं.	विभाग	Quantity	VVN Amount	SF Amount	Total
1	Furniture	44	1,11,739	-	1,11,739
2	Sports	1	-	1,034	1,034
3	Science lab	52	14,333	644	14,977
4	library	257	11,655	4,575	16,230
5	Computer	1	-	55,823	55,823
Total Amount for School Fund and VVN Fund			**1,37,727**	**62,076**	**1,99,803**

हर बेकार घोषित की गई चीज़ के लिए सबसे कम बोली की राशि 'कंडेम्नेशन बोर्ड' तय करेगा। चीज़ें सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले को "जैसी है, जहाँ है" (as is and where is) के आधार पर सौंपी जाएँगी। सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले को मद बेचे जाएंगे और बोली की प्रक्रिया पूर्ण होने पर उसी दिन विद्यालय में पूर्ण राशि जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता को पूर्ण भुगतान पुष्टि होने के 02 दिवस के भीतर बेकार घोषित की गई चीज़ें ले जानी होंगी। ऐसा ना होने पर विभाग के पास उनकी सम्पूर्ण राशि जब्त करने का अधिकार होगा तथा मदों को अन्य बोलीदाता को दे दी जाएगी| सफल बोलीदाता को निपटान वस्तुओं को उठाने के लिए वाहन, मजदूर इत्यादि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी|

नियम एवं शर्तें:-

1. विद्यालय के पुराने सामान, बेकार फर्नीचर / विज्ञान लैब का बेकार सामान / कंप्यूटर एवं अन्य मदों का निपटान GFR 2017 के नियम 218 से 221 के अनुसार किया जायएगा|
2. बोली लगाने वालों को नीलामी के समय बताए गए नियमों का पालन करना होगा।
3. हर नीलामी के सामान /वस्तु की रिज़र्व प्राइस (न्यूनतम कीमत) केवल नीलामी के समय ही बताई जाएगी।
4. बोली दाताअनुबंधित तारिख/समय व स्थान पर मदों को देख सकते है|
5. बोली प्रक्रिया में शामिल होने वाली फर्म/बोलीदाता को रूपए 500/- की राशी जमा करवाना अनिवार्य होगा, राशि जमा ना होने की स्थिति में बोलीदाता को बोली प्रक्रिया में शामिल नहीं होने दिया जाएगा|

6. अगर सफल बोली लगाने वाला बिक्री की कीमत का भुगतान नहीं कर पाता है, तो सामान अगली सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दिया जाएगा।

7. **कंप्यूटर मद की बिक्री :-भारत सरकार के पर्यावरण और वन विभाग नई दिल्ली के नियम 2022 और इसके समय समय पर संसोधित दिशा निर्देशों एवं केन्द्रीय विद्यालय संगठन के ई-वेस्ट मैनेजमेंट दिशा निर्देशों के अंतर्गत की जाएगी।**

8. KVS के कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों को नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं है।

9. किसी भी गड़बड़ी या विवाद की स्थिति में, नीचे हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को बोली प्रक्रिया रद्द करने का पूरा अधिकार है।

10. किसी फर्म या दुकान से केवल एक ही व्यक्ति को बोली लगाने की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति है।

11. विभाग द्वारा बोलीदाता को एक बार दिया गया कोई भी सामान किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं लिया जाएगा।

(सतीश कुमार)
प्राचार्य / Principal
केन्द्रीय विद्यालय मुल्लांपुर, पंजाब
Kendriya Vidyalaya, Mullanpur Punjab
प्राचार्य

वितरण:-

1. **बेकार हो चुके सामान का व्यापार करने वाले विक्रेता।**
2. **विद्यालय का नोटिस बोर्ड।**
3. **विद्यालय की वेबसाइट।**
4. **एयर फ़ोर्स स्टेशन का मुख्य नोटिस बोर्ड।**
5. **अन्य स्थानीय प्रचार एजेंसियां।**
6. **चंडीगढ़ क्षेत्र के सभी केंद्रीय विद्यालय (ई-मेल के माध्यम से)**